

योजनाओं में
शुभारम्भ
05.10.2020

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आवेदन की
अन्तिम तिथि
05.11.2020

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

फ्लैट्स/भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज-प्रथम मॉडल-2 के अन्तर्गत कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG) के निर्मित फ्लैट्स आवंटन (फेज-पंचम)

एवं

राजस्थान टाउनशिप पालिसी-2010 के अन्तर्गत निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग एवं (EWS) अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित फ्लैट्स/भूखण्डों का आवंटन (फेज-पंचम)

1.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज-प्रथम मॉडल-2/निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में फ्लैट्स/भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 05.10.2020 से 05.11.2020 तक
2.	प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदकों की सूची का प्रकाशन (आक्षेप आमंत्रित करने हेतु)	दिनांक 13.11.2020
3.	आवेदन कर्ताओं द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि (आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में)	दिनांक 13.11.2020 से 20.11.2020 तक
4.	सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण अवधि	दिनांक 27.11.2020 तक
5.	सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आक्षेपों पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन	दिनांक 02.12.2020 तक
6.	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय, एवं स्थान	दिनांक 04.12.2020 समय प्रातः 11:00 बजे नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा परिसर, जयपुर

योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया आरक्षित श्रेणीवार पात्रता, नियम तथा शर्तों की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

1. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज-प्रथम मॉडल-2 के अन्तर्गत उपलब्ध कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG) के फ्लैट्स का आवंटन हेतु (फेज- पंचम):-

- 1.1 परिचय :-अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज-प्रथम मॉडल-2 के अन्तर्गत 08 परियोजनाओं एवं फेज-द्वितीय में एक परियोजना में आवंटन से शेष एवं उपलब्ध आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) मध्यम आय वर्ग (MIG) के आवंटन के लिये पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कुल फ्लैट्स की संख्या योजनावार व श्रेणीनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है:-
- 1.2 कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG) की वार्षिक आय, फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल एवं आवंटन की दर एवं उपलब्ध फ्लैट की संख्या निम्नानुसार होगी -

क्र. स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी	मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणी
1.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत	166 फ्लैट	72 फ्लैट	51 फ्लैट
2.	फ्लैट का क्षेत्रफल (लगभग सुपर बिल्टअप सहित)	350 वर्गफीट तक	351 से 550 वर्गफीट तक	700 वर्गफीट
3.	आवंटन दर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत / निजी खातेदारी योजना	1680 रुपये प्रति वर्गफीट	1680 रुपये प्रति वर्गफीट	1680 रुपये प्रति वर्गफीट
4.	परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रुपये)	3,00,000/- तक प्रति वर्ष	3,00,001/- से 6,00,000/- तक प्रति वर्ष	6,00,001/- से 10,00,000/- तक प्रति वर्ष
5.	प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रति फ्लैट) रुपये	10,000/-	20,000/-	30,000/-

- 1.3 निर्मित आवासों में सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल एवं अन्य सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	आय वर्ग	*निर्मित क्षेत्रफल (सुपर बिल्ट अप वर्ग फीट)	कमरें	किचन	शौचालय	स्नाना गार	विशेष विवरण
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	325	2	1	1	1	-
2	अल्प आय वर्ग	500	2	1	1	1	बालकनी अतिरिक्त
3	मध्यम आय वर्ग 'अ'	700	2	1	2	1	ड्राइंग एवं डाइनिंग बालकनी अतिरिक्त

NOTE *निर्मित क्षेत्रफल में फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।

- 1.4 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पं. 2(18)नवि/5/2009 पार्ट-VIII दिनांक 21.03.2018 के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009/राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अन्तर्गत विकसित योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./एम.आई.जी. आवास जिनका आवंटन निरस्त हो चुका है/निरस्त योग्य है अथवा ऐसे आवास जिनका आवंटन संबंधित निकाय द्वारा नहीं किया गया है, ऐसे आवासों के आवंटन की दर वर्तमान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत निर्धारित दर 1680 रु. प्रति वर्गफीट (राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुसार पूर्व की दर रु 1600/-प्रति वर्गफीट में 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर) के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत मॉडल-1(निजी विकासकर्ता की योजनाएं) पर उक्त निर्धारित दर 1680/-रुपये प्रति वर्गफीट में से रुपये 100 प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय अर्थात जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एवं रुपये 50/- प्रति वर्गफीट संधारण मद में रखी जावेगी।

- 1.5 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश प 18(36)नवि/NAHP/2014 पार्ट दिनांक 20.02.2018 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार निर्धारित दर पर बेचे जाने वाले सभी प्रावधानों में लिफ्ट की सुविधा सम्मिलित की जाती है तो अधिकतम 50 ईकाईयों पर प्रति लिफ्ट के हिसाब से प्रस्तावित करने पर विकासकर्ता को रु. 75/- प्रति वर्ग फीट की दर से अधिक भुगतान किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः जिन परियोजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, उनमें से किसी प्रोजेक्ट में लिफ्ट सुविधा का प्रावधान होने पर उपरोक्तानुसार अतिरिक्त चार्ज देने के लिए आवंटि बाध्य होगा।
- 1.6 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पं. 2(18)नवि/5/2009 पार्ट-VIII दिनांक 21.03.2018 के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 मॉडल-2 में रुपये 1680/- प्रति वर्गफीट में से विकासकर्ता को वह राशि देय होगी, जो कि योजना के अनुमोदन के समय निर्धारित की गई थी। कुल राशि रु. 1680/- प्रति वर्गफीट में से रुपये 50/-प्रति वर्गफीट संधारण मद में रखी जावेगी।
- 1.7 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अन्तर्गत निर्मित फ्लैटों के प्रकरण में सफल आवंटियों को फ्लैट की कीमत चुकाने के सहयोग हेतु प्राधिकरण द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबंध ऋणदात्री बैंक/वित्तीय संस्था के नाम संबंधित उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षर कर जारी किया जावेगा। जिससे आवंटियों को ऋण प्राप्ति में सुगमता हो सके।
- 1.8 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के फेज-प्रथम मॉडल-2 के अन्तर्गत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी एवं एमआईजी के पूर्व में आवंटित फ्लैट्स जो अब पूर्व आवंटियों के द्वारा निरस्त होने के कारण पुनः उपलब्ध हो गये हैं, उनके आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

2. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टर से अधिक) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल, ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टर से अधिक) में EWS/LIG के फ्लैट्स

- 2.1 राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न निजी विकासकर्ताओं के अनुमोदित भवन मानचित्र अनुसार बीपीसी (बी.पी) द्वारा उपलब्ध करवाये गये आरक्षित फ्लैटों के लिये पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें हैं।
- 2.2 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत विकासकर्ताओं के भवन मानचित्र अनुमोदन पर उपलब्ध कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) की मासिक आय, फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल एवं आवंटन की दर निम्नानुसार होगी -

क्र.स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी
1	निजी खातेदारी की योजनाओं में फ्लैट	554 फ्लैट	181 फ्लैट
2	फ्लैट का क्षेत्रफल (लगभग सुपर बिल्टअप सहित)	350 वर्गफीट तक	351 से 550 वर्गफीट तक
3	आवंटन दर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत / निजी खातेदारी योजना	1680 रुपये प्रति वर्गफीट	1680 रुपये प्रति वर्गफीट
4	परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रुपये)	3,00,000/- तक प्रति वर्ष	3,00,001/- से 6,00,000/- तक प्रति वर्ष
5	प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रति फ्लैट) रुपये	10,000/-	20,000/-

*निर्मित क्षेत्रफल में फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।

3. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अन्तर्गत निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन (फेज-पंचम):-

- 3.1 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) के लिए कुल 15 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस), एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के आरक्षित भूखण्डों हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।
- 3.2 कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) की मासिक आय, भूखण्ड क्षेत्रफल एवं आवंटन की दर नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 के अनुसार निम्नानुसार होगी

क्र. स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी
1.	निजी खातेदारी योजना में भूखण्डों की संख्या	32 भूखण्ड	79 भूखण्ड
2.	निजी खातेदारी के भूखण्डों का क्षेत्रफल	45 वर्गमीटर	46 से 75 वर्गमीटर
3.	(i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रुपये)	LIG Group-A (EWS) 3,00,000 /— तक प्रति वर्ष	LIG Group-B (LIG) 3,00,001 /— से 6,00,000 /— तक प्रति वर्ष
	(ii) आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत
	(iii) प्रशासनिक शुल्क राशि प्रति भूखण्ड (रुपये में)	10,000 /—	20,000 /—

- 3.3 सफल आवंटी आयवर्ग के अनुसार आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से मौके पर अधिक होने की दशा में राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 16.09.2019 के अनुसार देय होगी।
- 3.4 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अन्तर्गत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के पूर्व में आवंटित भूखण्ड जो अब पूर्व आवंटियों के द्वारा निरस्त होने के कारण पुनः उपलब्ध हो गये हैं, उनके आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।
4. आवंटन हेतु उपलब्ध कुल प्लेटों/भूखण्डों की संख्या योजनावार व श्रेणीनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवासों/ प्लेटों/भूखण्ड का आवंटन शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974, अफोर्डेबल पॉलिसी-2009, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 (10 हैक्टेयर से अधिक) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल, ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टेयर से अधिक) में तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नितियों, आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार होगा।

5. फ्लैटों एवं भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

5.1 वर्तमान में प्रस्तावित योजनाओं के लिए आवेदन में उपलब्ध सभी फ्लैटों एवं भूखण्डों में आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारी / राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी *	अनु. जनजाति		अनु. जाति		विकलांग		ट्रांसजेंडर व्यक्ति		अधीस्वीकृत पत्रकार		सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)			अनारक्षित श्रेणी	
10%	6%		9%		5%		2%		2%		10%			56%	
10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनु. जनजाति महिलाएँ	सामान्य अनु. जनजाति	10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनु. जाति महिलाएँ	सामान्य अनु. जाति	10% निराश्रित एवं भूमि विकलांग महिलाएँ	सामान्य विकलांग	शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रित (अ)					सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)			

5.2 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.17(10)नविवि/द्वितीय/2019 जयपुर दिनांक 16.09.2019 के अनुसार आवंटन के समय आरक्षित भूखण्डों के सम्बंध में निम्न प्रावधान है :-

- 5.2(अ) निम्न आय वर्ग (LIG) के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 6,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 5.2(ब) राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों तथा केन्द्रीय विभाग के कर्मचारियों की सकल वार्षिक आय रु. 12,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 5.2(बब) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त 10 वर्ष तक की अवधि में विधवा महिला जिनके पति के मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय रु. 6,00,000/- से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- 5.2(स) सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी सम्मिलित है तथा BSF/CISF/CRPF के सैनिक जिनकी सकल वार्षिक आय रु. 12,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी)।
- 5.2(द) राजकीय सेवा में सेवारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 12,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 5.2(व) अधीस्वीकृत पत्रकार के आवेदक की सकल वार्षिक आय रु. 12,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 5.2(र) Disability Act 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49/2016) के तहत निःशक्तजन/दिव्यांगों के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 12,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 5.2(न) निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय रु. 6,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 5.2(च) नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.07.2020 के अनुसार ट्रांसजेण्डर के आवेदक की आवंटन के समय सकल वार्षिक आय रुपये 1200000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5.3 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष फ्लैटों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

5.4 राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय अधिकरण की नियमति रूप से चयनित कर्मचारी जोकि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नी एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणियों के अनुसार पात्रता रखता हो।

5.5 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित फ्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

- 5.6** अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 5.7** विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.8** अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- 5.8.1 सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।
- 5.8.2 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- 5.8.3 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैटों एवं भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- 5.8.4 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट अथवा भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 5.8.5 मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 5.8.6 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट अथवा भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 5.8.7 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित फ्लैटों अथवा भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
- (अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)
- (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
- (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

6. आवेदन करने की अनिवार्य पात्रता :

- 6.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
- 6.2 आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा।
- 6.3 आवेदक को आवेदन पत्र में एक मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 6.4 यह मोबाइल नम्बर आवेदक के स्वयं के नाम या स्वयं के परिवार के सदस्य के नाम होना अनिवार्य है। इस हेतु परिवार का आशय आवेदक स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित सदस्य सम्मिलित होगा। आश्रित सदस्य वह है जिसकी आय श्रेणी हेतु सकल आय की गणना में सम्मिलित की जाती है।
- 6.5 स्वयं, पति/पत्नि या आश्रित सदस्य के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति का मोबाइल नम्बर उल्लेख करने पर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगा। आवेदन फार्म में अंकित मोबाइल नम्बर पर OTP VERIFICATION के उपरान्त ही आवेदन फार्म भरा जा सकेगा।

- 6.6 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/फ्लैट (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- 6.7 आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम व बैंक शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड होना अनिवार्य है।
- 6.8 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो। सफल आवेदक से आवंटन से पूर्व इसका शपथ-पत्र भी लिया जावेगा।
- 6.9 आवेदक के स्वयं के परिवार की वार्षिक सकल आय (पति,पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2019-20 (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।
- 6.10 ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।
- 6.11 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

7. आवेदन की सामान्य शर्तें :-

- 7.1 आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर एक अथवा एक से अधिक (अधिकतम 02) योजनाओं के फ्लैटों अथवा भूखण्डों के लिये आवेदन कर सकेगा। एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 7.2 लॉटरी में वरीयता के आधार पर फ्लैट अथवा भूखण्ड आवंटित होने के उपरान्त शेष वरीयताएँ स्वतः ही समाप्त हो जावेगीं एवं शेष वरीयताओं की जमा प्रशासनिक शुल्क आवेदक को लॉटरी पश्चात् लौटा दिया जावेगा।
- 7.3 ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
- 7.4 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होवे।
- 7.5 लॉटरी में एक से अधिक योजनाओं में फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिए सफल होने पर उच्चतम (प्रथम) वरीयता वाले फ्लैट अथवा भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।
- 7.6 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटन पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।
- 7.7 योजनाओं में उपलब्ध फ्लैटों एवं भूखण्डों की संख्या में कमी की जा सकती है। जिसकी सूचना जविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।?

8. आवेदन शुल्क, प्रशासनिक शुल्क एवं अन्य देय राशि से सम्बन्धित प्रावधान :-

- 8.1 आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर एक अथवा एक से अधिक अधिकतम 2 योजनाओं के फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिये आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रु. 500/- एवं निर्धारित प्रशासनिक शुल्क राशि के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा। कुल प्रशासनिक शुल्क राशि कुल विकल्प वरीयताओं के अनुसार एक मुश्त ऑनलाईन जमा कराना होगा।
- 8.2 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 की योजनाओं एवं निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में प्रशासनिक शुल्क की राशि फ्लैट एवं भूखण्ड की देय कीमत में सम्मिलित नहीं होगी।

- 8.3 प्रशासनिक शुल्क राशि एवं आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT/RTGS अन्य के माध्यम से ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।
- 8.4 गलत बैंक खाता संख्या होने की स्थिति में प्रशासनिक शुल्क के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 8.5 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। **संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।**
- 8.6 आवेदन का माध्यम एवं देय राशि
- अ. ऑनलाईन आवेदन करने पर आवेदन शुल्क एवं प्रशासनिक शुल्क का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।
- ब. ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र कियोस्क को निर्धारित प्रशासनिक शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क रुपये 500/- जमा कराने पर ई-मित्र कियोस्क को निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देय होगी :-

फार्म भरना एवं समस्त दस्तावेजों को स्कैनिंग कर अपलोड करना	50/- रुपये प्रति फार्म
डिमांड नोट/फीस/देय राशि का संकलन	
2000/- रु. तक की राशि के लिए	10/- रुपये प्रति लेनदेन
2000/- रु. से अधिक की राशि के लिए	राशि 2000/- रुपये पर प्रत्येक 1000/- रुपये की वृद्धि होने पर 2/- रुपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

***सभी कर सम्मिलित**

- 8.7 भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीजडीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।

9 आवेदन करने की प्रक्रिया :-

- 9.1 फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन या ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 9.2 आवेदन करते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर ऑनलाईन आवेदन में भरने पर मोबाईल नम्बर की पुष्टि (कन्फर्म) करने हेतु कम्प्यूटर द्वारा उक्त मोबाईल पर OTP (One Time Password) एक बारीय पासवर्ड संख्या भेजी जावेगी। जिसे ऑनलाईन आवेदन के भरने में पश्चात् ही शेष फार्म भरा जा सकेगा।
- 9.3 आवेदनकर्ता एक ही आवेदन में एक से अधिक अधिकतम दो योजनाओं के फ्लैट अथवा भूखण्डों की वरीयता के आधार पर आवेदन कर सकेगा।
- 9.4 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार का यथा नाम, मोबाईल नम्बर, आरक्षित वर्ग, आय वर्ग, पता, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि का कोई शुद्धिकरण नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक द्वारा आवेदन फार्म अत्यधिक सावधानी से भरा जाना चाहिए।
- 9.5 आवेदक द्वारा आवेदन करने के पश्चात् लॉटरी से पूर्व आवेदन-पत्र आहरित (वापस) नहीं लिया जा सकेगा। अतः आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन का निर्णय स्वयं के स्तर पर लेकर ही ऑनलाईन आवेदन फार्म भरा जावे।

10 आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण प्रशासनिक शुल्क जब्त किये जाने एवं कब्जा वापिस लिए जाने से सम्बन्धित बिन्दु :-

- 10.1 निम्न स्थिति में आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण प्रशासनिक शुल्क जब्त किया जावेगा।

- 10.1.1 एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेगे तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 10.1.2 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- 10.1.3 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।
- 10.1.4 आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य (यथा मोबाइल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि देने पर।
- 10.1.5 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
- 10.1.6 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।
- 10.1.7 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैटों एवं भूखण्डों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत विवरण दिया जाना आवश्यक है। गलत तथ्य/सूचना पाये जाने पर प्रशासनिक शुल्क जब्त किया जावेगा।
- 10.2 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जाँच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित फ्लैट अथवा भूखण्ड निरस्त किया जाकर प्रशासनिक शुल्क जब्त कर लिया जावेगा।
- 10.3 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि भूखण्ड आवंटन करवाने में सफल हो जाता है। एवं आवंटन जारी होकर भूखण्ड की कीमत जमा पश्चात् भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर फ्लैट अथवा भूखण्ड का कब्जा क्षेत्रीय उपायुक्त जोन द्वारा ले लिया जावेगा।

11. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :-

- 11.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर हाल ही में खींची हुई फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले फ्लैट अथवा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
 - जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/ अंकतालिका आदि में से कोई भी)
 - आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)
 - सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं,पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
 - आरक्षित श्रेणी के सफल आवंटी को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति यथा-Govt.Employee/SC/ST/Handicap/Accredited Journalist/ Soldier
- 11.2 संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांगपत्र जारी किये जायेंगे।
- 11.3 ऑनलाईन आवेदन में भरा गया मोबाइल स्वयं, पति/पत्नि अथवा आश्रित के नाम होने का मूल दस्तावेज एवं परिवार के सदस्यों का मोबाइल नम्बर होने का बिन्दु संख्या 6.5 के अनुसार परिवार के सदस्य होने का साक्ष्य दिया जाना अनिवार्य होगा। जोन कार्यालय द्वारा

- आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे। मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में पलैट् अथवा भूखण्ड की कीमत जमा करवानी होगी।
- 11.4 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में NEFT/RTGS/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से जयपुर रीजन स्थित किसी भी आई.सी.आई.सी.आई बैंक की शाखा में निर्धारित चालान से एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 11.5 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।
- 11.6 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक. प. 2(18)नवि/5/2009/ पार्ट-VIII दिनांक 21.03.2018 के अनुसार पूर्व की योजनाओं में निरस्त/गैर आवंटित आवास/भूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा मॉडल-1 के तहत एक माह में आवेदन प्राप्त कर आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें तथा आवंटियों से पुनः आवंटित आवासों की सम्पूर्ण राशि तीन माह में ली जावेगी जिसमें से विकासकर्ता के हिस्से की राशि का भुगतान विकासकर्ता को तुरन्त किया जावेगा।
- 11.7 आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में पलैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

12. पलैट् अथवा भूखण्ड आवंटन के पश्चात् वापस लेने की विधि :-

- 12.1 उक्त आवेदन प्रक्रिया में आक्षेप प्रस्तुत करने की तिथि तक जो आवेदक अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें नाम वापस लेने की प्रति 20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क, जीएसटी कटौती करते हुए, शेष राशि लौटा दी जावेगी।
- 12.2 लॉटरी में सफल आवेदक के द्वारा यदि रिफण्ड आवेदन दिया जाता है तो सम्पूर्ण प्रशासनिक शुल्क जब्त कर आवंटन रद्द कर दिया जावेगा एवं रिफण्ड की कोई राशि देय नहीं होगी।
- 12.3 एक परिवार(पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक पलैट् एवं भूखण्ड हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक पलैट् अथवा भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही पलैट् अथवा भूखण्ड आवंटित किया जावेगा शेष पलैट् एवं भूखण्ड की जमा प्रशासनिक शुल्क की राशि लौटा दी जावेगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जावेगी। तथ्य छिपाये जाने का भविष्य में ज्ञात होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। ऐसे आवंटन पेटे जमा सम्पूर्ण राशि जब्त करली जावेगी।

13. असफल आवेदकों को प्रशासनिक शुल्क की वापसी :-

- 13.1 असफल आवेदकों की प्रशासनिक राशि का रिफण्ड आवेदक को जिस माध्यम से प्राप्त हुआ है उसी माध्यम में अथवा दर्ज बैंक खाते में ऑनलाईन ही वापस कर दिया जायेगा। जविप्रा द्वारा किसी भी स्थिति में Chargeback देय नहीं होगा।
- 13.2 असफल आवेदकों को लाटरी दिनांक से 6 माह तक जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि आवेदक को रिफण्ड किसी कारणवश भुगतान का माध्यम उपलब्धता नहीं होने के कारण/गलत दर्ज आई.एफ.एस.सी. कोड/बैंक खाता संख्या एवं नाम इत्यादि जिसके कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब/अन्य कारण होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. अन्य महत्वपूर्ण शर्त :-

- 14.1 पलैट् एवं भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।
- 14.2 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत आवंटित पलैट् अथवा भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित पलैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन कम कब्जा पत्र तैयार कर प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा।
- 14.3 आवंटी द्वारा पलैट् अथवा भूखण्ड के पेटे निर्धारित दर जमा करायी गई कीमत विकासकर्ता को जविप्रा द्वारा ट्रांसफर की जावेगी।
- 14.4 जोन उपायुक्त द्वारा आवंटियों को लिखित में लीजडीड निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जायेगा।
- 14.5 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही पलैट् अथवा भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

- 14.6 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।
- 14.7 राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आवंटित प्लैट अथवा भूखण्ड का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है अतः प्राधिकरण द्वारा भी हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर प्लैट अथवा भूखण्ड का कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा ले लिया जावेगा।
- 14.8 आवंटन में प्राप्त प्लैट अथवा भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- 14.9 आवासीय इकाई (प्लैट) से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना, आहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को परियोजना की रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी (RWA) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन किया जायेगा। रख-रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। प्रारम्भिक तौर पर इस बाबत आवंटन आर्थिक दृष्टि से कमजोर आर्य वर्ग के लिये राशि रु. 2000/-, अल्प आय वर्ग के लिये 3000/- तथा मध्यम आय वर्ग 'अ' के लिये 10,000/- आवंटी द्वारा जमा करानी होगी, जो कि सोसायटी के खाते में उपायुक्त जोन द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा नियमित रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी।
- 14.10 प्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में प्लैट में निवास अनिवार्य होगा अन्यथा राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे प्लैट्स का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।
- 14.11 निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का निर्माण कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- 14.12 लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध भूखण्ड एवं प्लैट्स की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।
- 14.13 प्राधिकरण बिना सूचना दिए प्लैट अथवा भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।
- 14.14 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जयपुरा का निर्णय अन्तिम होगा।
- 14.15 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री

आयु..... निवासी

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूंगा/कर दूंगी।
- (3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनुजाति/अनुजनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड अथवा प्लैट निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लैट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
 पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री जाति निवासी.....
 तहसील.....जिला
 राज्य की स्वयं पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रु0.....
 हैं एवं मेरा पैन नम्बरहैं।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्रीशपथ
 पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
 गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबन्धित प्रावधानों
 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
 पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री इस कम्पनी/फर्म में
 पद पर कार्यरत हैं। इनकी सकल वार्षिक आय रु0 है।

दिनांक :

कम्पनी/फर्म

स्थान :

प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर मय मोहर

आय प्रमाण-पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
 पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री इस विभाग में
 पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की
 नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल वार्षिक आय रु0है।

दिनांक :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

स्थान :

के हस्ताक्षर मय मोहर

विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
.....जिला सम्भाग.....
राज्य जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु (आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि
..... (रैंक) (नाम)
..... (नम्बर)

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपयें प्रतिमाह हैं।
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी मासिक आय रूपयें प्रतिमाह थी।
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रु0 प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री
आयु..... निवासी
..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि
(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा फ्लैट हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
(2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व० पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/..... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स में से कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC)अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री

आयु..... निवासी

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
- (2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत /प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
- (4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध **भारतीय दण्ड संहिता(IPC)** अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये
शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
.....तहसील जिला
..... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

योजनाओं का
शुभारम्भ
05.10.2020



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

आवेदन की
अन्तिम तिथि
05.11.2020

विभिन्न योजनाओं में EWS/LIG/MIG-A वर्ग के प्लैट अथवा

EWS/LIG वर्ग के भूखण्ड के लिये आवेदन

कमजोर आय (EWS), वर्ग अल्प आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG-A) के लिये निर्मित प्लैट्स तथा कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) के लिए भूखण्डों के आवंटन हेतु आयवर्गानुसार ऑनलाईन आवेदन जविप्रा की वेबसाइट अथवा ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से

क्र. स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी	मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणी
निर्मित प्लैट्स				
1	1. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत 2. निजी खातेदारी की योजनाओं में प्लैट	166 प्लैट 554 प्लैट	72 प्लैट 181 प्लैट	51 प्लैट —
2	प्लैट का क्षेत्रफल (लगभग सुपर बिल्टअप सहित)	350 वर्गफीट तक	351 से 550 वर्गफीट तक	700 फीट
3	आवंटन दर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत / निजी खातेदारी योजना	1680 रुपये प्रति वर्गफीट	1680 रुपये प्रति वर्गफीट	1680 रुपये प्रति वर्गफीट
भूखण्ड				
1	निजी खातेदारी योजना में भूखण्डों की संख्या	32 भूखण्ड	79 भूखण्ड	—
2	निजी खातेदारी के भूखण्डों का क्षेत्रफल	45 वर्गमीटर	46 से 75 वर्गमीटर	—
3	आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	आरक्षित दर का 80 प्रतिशत	—
4	परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रुपये)	LIG Group-A (EWS) 3,00,000 /— तक प्रति वर्ष	LIG Group-B 3,00,001 /— से 6,00,000 /— तक प्रति वर्ष	6,00,001 /— से 10,00,000 /— तक प्रति वर्ष
5	प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रति प्लैट) रुपये	10,000 /—	20,000 /—	30,000 /—

- ❖ आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं प्री लॉटरी द्वारा उपलब्ध प्लैट/भूखण्ड आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर केवल दो योजनाओं में वरीयता के आधार पर एक अथवा एक से अधिक (अधिकतम 02) योजनाओं के प्लैटों अथवा भूखण्डों के लिए आवेदन कर सकेगा।
- ❖ सभी योजनाओं में एक या एक से अधिक प्लैट अथवा भूखण्ड के लिये आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रु. 500 /— एवं प्रशासनिक शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा। कुल प्रशासनिक शुल्क राशि कुल विकल्पों वरीयताओं के अनुसार एक मुश्त ऑनलाईन जमा करानी होगी।
- ❖ ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र कियोस्क को निर्धारित प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रक्रिया शुल्क रु. 50) जमा कराने पर ई-मित्र कियोस्क को नियमानुसार अतिरिक्त राशि देय होंगे।
- ❖ योजनाओं में उपलब्ध प्लैटों एवं भूखण्डों की संख्या में लॉटरी तिथि से पूर्व कमी/वृद्धि की जा सकती है।
- ❖ योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया व नियम तथा शर्तों की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

1.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज-प्रथम मॉडल-2/निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में फ्लैट/भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 05.10.2020 से 05.11.2020 तक
2.	प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदकों की सूची का प्रकाशन (आक्षेप आमंत्रित करने हेतु)	दिनांक 13.11.2020
3.	आवेदन कर्ताओं द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि (आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में)	दिनांक 13.11.2020 से 20.11.2020 तक
4.	सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण अवधि	दिनांक 27.11.2020 तक
5.	सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आक्षेपों पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन	दिनांक 02.12.2020 तक
6.	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय, एवं स्थान	दिनांक 04.12.2020 समय प्रातः 11:00 बजे नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा परिसर, जयपुर

(आलोक रंजन)
सचिव